

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/ 4618-2

दिनांक: 11-09-2023

विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुपूरक जिला कार्ययोजना (DHAP Guideline) संबंधी दिशा-निर्देश।

महोदया/महोदय,

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 27026.44 लाख का आवंटन पत्र सं0 SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/1386 दिनांक 19/05/2023 के माध्यम से पूर्व में जनपदों को किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की आर0ओ0पी0 तथा अनुपूरक आर0ओ0पी0 में भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 10575.81 लाख (रू0 दस हजार पाँच सौ पचहत्तर लाख इक्यासी हजार मात्र) का आवंटन जनपदों में एन.यू.एच.एम. के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों हेतु संलग्न फॉट के अनुसार किया गया है। भारत सरकार द्वारा मदवार अनुमोदित धनराशि तथा उसके सापेक्ष जनपदों को आवंटित की जा रही धनराशि का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है—

1. **FMR Code HSS(U).1.127 – Development and Operationalisation of Health and Wellness Centers-Urban** – के अन्तर्गत अनुपूरक आर0ओ0पी0 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 506.35 लाख की धनराशि संबंधित जनपदों को नवीन स्वीकृत 1864 शहरी आशाओं के **Asha Incentive for Additional range of Services, Incentive to Asha for CBAC, Mobile Recharge for ASHA** तथा नवीन स्वीकृत 100 यू0पी0एच0सी0 के हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में उच्चीकरण के लिए **Computer and Printers for UPHC-HWC for IT Support एवं Branding and IEC** हेतु संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की जा रही है।
2. **FMR Code HSS(U).2.130 – ASHA- Including ASHA Certification and ASHA benefit** - के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की आर0ओ0पी0 व अनुपूरक आर0ओ0पी0 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 132.57 लाख संबंधित जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम नवीन स्वीकृत 1864 शहरी आशाओं के **Module 6&7 Training, Award for ASHA** तथा **HBNC Kit** हेतु आवंटित की गयी है।
3. **FMR Code HSS(U).2.131- MAS** - के अन्तर्गत अनुपूरक आर0ओ0पी0 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 53.26 लाख नवीन स्वीकृत 1864 महिला आरोग्य समितियों के **ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण** हेतु संबंधित जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है।
4. **FMR Code HSS (U).5.142 Remuneration of all NHM HR** - के अन्तर्गत अनुपूरक आर0ओ0पी0 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 6984.03 लाख की धनराशि पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत **659 Medical Officers/Cleaning Staff/Support Staff** के **12 माह के मानदेय** हेतु संबंधित जनपदों को आवंटित की गयी है।
5. **FMR Code HSS (U).5.144- Incentive under CPHC** - के अन्तर्गत अनुपूरक आर0ओ0पी0 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 2899.60 लाख की धनराशि संबंधित जनपदों पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत **659 U-HWC** के **Medical Officers** के **Performance Based Incentive** तथा **Team Based Incentives** हेतु आवंटित की गयी है।


उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाये-

- विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल द्वारा किया जाये। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जाँच के समय प्रेषित किया जा सके।
 - ऑपरेशनल गाइडलाइन पर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
 - धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
 - मानदेय का निर्धारण नियुक्ति के समय निर्धारित मानदेय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि एवं लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस के आधार पर सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण के उपरान्त नियमानुसार देय होगा। उपरोक्त निर्धारित मानदेय में किसी भी प्रकार का पुर्नरीक्षण राज्य स्तर की अनुमति के उपरान्त ही अनुमन्य/मान्य होगा।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी (एन.यू.एच.एम.), जिला लेखा प्रबन्धक एवं कार्यक्रम से संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश तथा जनपदवार फांट पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि प्रत्येक गतिविधि हेतु तय समयावधि के भीतर आवंटित धनराशि का नियमानुसार उपयोग कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीया,


(डा० पिकी जोवल)
मिशन निदेशक
तददिनांक।

पत्रांक: SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ०प्र० लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. महाप्रबंधक, एम०आई०एस० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त दिशा-निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

(डा० सलिल कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबंधक एन.यू.एच.एम

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/

दिनांक: 11-09-2023

विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुपूरक जिला कार्ययोजना (DHAP Guideline) संबंधी दिशा-निर्देश।

महोदया/महोदय,

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 27026.44 लाख का आवंटन पत्र सं0 SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/1386 दिनांक 19/05/2023 के माध्यम से पूर्व में जनपदों को किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की आर0ओ0पी0 तथा अनुपूरक आर0ओ0पी0 में भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 10575.81 लाख (रू0 दस हजार पाँच सौ पचहत्तर लाख इक्यासी हजार मात्र) का आवंटन जनपदों में एन.यू.एच.एम. के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों हेतु संलग्न फॉट के अनुसार किया गया है। भारत सरकार द्वारा मदवार अनुमोदित धनराशि तथा उसके सापेक्ष जनपदों को आवंटित की जा रही धनराशि का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है—

1. **FMR Code HSS(U).1.127 – Development and Operationalisation of Health and Wellness Centers-Urban** – के अन्तर्गत अनुपूरक आर0ओ0पी0 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 506.35 लाख की धनराशि संबंधित जनपदों को नवीन स्वीकृत 1864 शहरी आशाओ के **Asha Incentive for Additional range of Services, Incentive to Asha for CBAC, Mobile Recharge for ASHA** तथा नवीन स्वीकृत 100 यू0पी0एच0सी0 के हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में उच्चीकरण के लिए **Computer and Printers for UPHC-HWC for IT Support** एवं **Branding and IEC** हेतु संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की जा रही है।
2. **FMR Code HSS(U).2.130 – ASHA- Including ASHA Certification and ASHA benefit** - के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की आर0ओ0पी0 व अनुपूरक आर0ओ0पी0 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 132.57 लाख संबंधित जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम नवीन स्वीकृत 1864 शहरी आशाओ के **Module 6&7 Training, Award for ASHA** तथा **HBNC Kit** हेतु आवंटित की गयी है।
3. **FMR Code HSS(U).2.131- MAS** - के अन्तर्गत अनुपूरक आर0ओ0पी0 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 53.26 लाख नवीन स्वीकृत 1864 महिला आरोग्य समितियों के ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण हेतु संबंधित जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है।
4. **FMR Code HSS(U).5.142 Remuneration of all NHM HR** - के अन्तर्गत अनुपूरक आर0ओ0पी0 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 6984.03 लाख की धनराशि पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत **659 Medical Officers/Cleaning Staff/Support Staff** के 12 माह के मानदेय हेतु संबंधित जनपदों को आवंटित की गयी है।
5. **FMR Code HSS(U).5.144- Incentive under CPHC** - के अन्तर्गत अनुपूरक आर0ओ0पी0 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 2899.60 लाख की धनराशि संबंधित जनपदों पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत 659 U-HWC के Medical Officers के **Performance Based Incentive** तथा **Team Based Incentives** हेतु आवंटित की गयी है।

उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाये-

- विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल द्वारा किया जाये। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जॉच के समय प्रेषित किया जा सके।
- ऑपरेशनल गाइडलाइन पर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
- मानदेय का निर्धारण नियुक्ति के समय निर्धारित मानदेय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि एवं लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस के आधार पर सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण के उपरान्त नियमानुसार देय होगा। उपरोक्त निर्धारित मानदेय में किसी भी प्रकार का पुर्नरीक्षण राज्य स्तर की अनुमति के उपरान्त ही अनुमन्य/मान्य होगा।

उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी (एन.यू.एच.एम.), जिला लेखा प्रबन्धक एवं कार्यक्रम से संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश तथा जनपदवार फांट पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि प्रत्येक गतिविधि हेतु तय समयावधि के भीतर आवंटित धनराशि का नियमानुसार उपयोग कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीया,

(डा० पिकी जोवल)
मिशन निदेशक
तददिनांक।

पत्रांक: SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/

4618-2(9)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ०प्र० लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. महाप्रबंधक, एम०आई०एस० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त दिशा-निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक/अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

(डा० सलिल कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबंधक एन.यू.एच.एम

बजट आवंटन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम—राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुपूरक जिला कार्ययोजना (DHAP Guideline) संबंधी दिशा-निर्देश।

प्रस्तावना—

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की आर0ओ0पी0 के सापेक्ष रू0 27026.44 लाख का आवंटन जनपदों को पत्र सं0 SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/1386 दिनांक 19-05-2023 के माध्यम से पूर्व में किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुपूरक आर0ओ0पी0 में भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 10575.81 लाख का आवंटन जनपदों में एन.यू.एच.एम. के अंतर्गत संचालित गतिविधियों हेतु संलग्न फॉट के अनुसार किया गया है। आवंटित धनराशि का उपयोग निम्नानुसार किया जाना है:-

FMR Code HSS(U).1.127 – Development and Operationalisation of Health and Wellness Centers_ Urban -- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुपूरक आर0ओ0पी0 में मद सं0 HSS(U).1.127 के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 506.35 लाख जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है:-

- 1. HSS(U).1.127.ASHA.1 (Asha Incentive for Additional range of Services)--** इस मद में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के अंतर्गत कार्यरत अरबन आशाओं हेतु रू0 1000/- प्रति माह प्रति आशा की दर से कुल 1864 अरबन आशाओं हेतु 12 माह के लिये संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।
इस धनराशि का उपयोग पत्र संख्या- SPMU/NUHM/Guidelines/2021-22/47/6464 दिनांक 10/01/2022 के द्वारा नगरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के टीम बेस्ड इंसेंटिव हेतु प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना है।
- 2. HSS(U).1.127.ASHA.2 (Incentive to Asha for CBAC)--** इस मद में NCD screening के लिये हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु 1864 अरबन आशाओं हेतु C-BAC form हेतु रू0 10/- प्रति C-BAC form for 740 Forms per Urban ASHA की दर से प्रोत्साहन राशि संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग पत्र संख्या- SPMU/NUHM/Budget/2022-23/61/5072 दिनांक 14/10/2022 के माध्यम से प्रेषित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
- 3. HSS(U).1.127.OOC.3 (Mobile Recharge)--** इस मद में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के अंतर्गत कार्यरत अरबन आशाओं हेतु रू0 200/- प्रति माह प्रति आशा की दर से कुल 1864 अरबन आशाओं हेतु 12 माह के लिये संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग पत्र संख्या- SPMU/NUHM/Budget/2022-23/61/5072 दिनांक 14/10/2022 के माध्यम से प्रेषित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
- 4. HSS(U).1.127.IC.1 (Computer and Printers for UPHC-HWC for IT Support)--** नवीन 100 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर्स हेतु रू0 60,000.00 प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि



- आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग पत्र संख्या- SPMU/NUHM/Budget/2022-23/61/5072 दिनांक 14/10/2022 के माध्यम से प्रेषित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
5. **HSS(U).1.127.IC.2 (Branding and IEC)**-- नवीन 100 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ब्रांडिंग एवं आईईसी गतिविधि हेतु रू० 40,000.00 प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग पत्र संख्या- SPMU/NUHM/Budget/2022-23/61/5072 दिनांक 14/10/2022 के माध्यम से प्रेषित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।

FMR Code HSS(U).2.130 – ASHA- Including ASHA Certification and ASHA benefit - भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की आर०ओ०पी० व अनुपूरक आर०ओ०पी० में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रू० 132.57 लाख जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ०ए०एम०एस० कोडवार विवरण निम्नवत् है:-

1. **HSS(U).2.130.CB.3 (Module 6&7 Training for ASHA)**-- इस मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवीन स्वीकृत शहरी आशाओ, के 6 & 7 Module के प्रथम व द्वितीय राउड के प्रशिक्षण हेतु रू० 88200/- प्रति बैच की दर से 124 बैच तथा रू० 100/- प्रति माड्यूल की दर से कुल 3656 माड्यूल हेतु धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। 6 & 7 Module के प्रथम 2 चरण के प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश महानिदेशक परिवार कल्याण महानिदेशालय के पत्रांक प०क० 13 /सं०नि०न० /अर०आशा /52 /2019-20/3277-50 दिनांक 30 अक्टूबर 2019, तृतीय चरण के प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश कार्यालय पत्रांक SPMU/NUHM/ Guideline/2020-21/47/2684 दिनांक 16-08-2021 तथा चतुर्थ चरण के प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश कार्यालय पत्रांक SPMU/NUHM/ Budget/2022-23/61/4982 दिनांक 11-10-2022 माध्यम से पूर्व में ही प्रेषित किये जा चुके हैं। जिन जनपदों में शहरी आशाओ की संख्या कम होने के कारण बैच नहीं बनाये जा पा रहे हैं, वहां शहरी आशाओ का 6 & 7 Module का प्रशिक्षण ग्रामीण आशाओ के साथ कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रशिक्षण बैचों का जनपदवार विवरण निम्नानुसार है--

Batch Details of Module 6&7 Training (1st & 2nd Round) for 1864 New ASHA

Sr. No.	District	New Urban ASHA approved in 2022-23	No. Of Batches	Remarks
1	Balrampur	33	2	
2	Bijnor	16	0	To be done with Rural ASHA
3	Farukhabad	57	4	
4	Gonda	28	2	
5	Hamirpur	29	2	
6	Hapur	75	6	
7	J.P.Nagar	36	2	
8	Kannauj	65	4	
9	Kanpur Nagar	484	32	
10	Kaushambi	5	0	To be done with Rural ASHA
11	Lucknow	549	36	
12	Moradabad	50	4	
13	Prayagraj	287	20	
14	Shrawasti	13	0	To be done with Rural ASHA
15	Sitapur	97	6	
16	Sonabhadra	40	4	
	Total	1864	124	

नोट-प्रशिक्षण हेतु जनपद स्तर पर कैलेंडर तैयार कर राज्य स्तर को 30 सितम्बर 2023 तक प्रेषित किया जाये तथा कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक प्रशिक्षण हेतु पत्रांक एस0पी0एम0यू0/प्रशिक्षण/31/2022-23/3276 दिनांक.20-07-2023 के माध्यम से प्रेषित चेकलिस्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाये।


2. **HSS(U).2.130.OOC (Award for ASHA for every cluster of 150 ASHA)**-- अरबन आशाओं द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों हेतु ASHA Award के लिये धनराशि संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि के व्यय हेतु दिशा निर्देश शहरी आशा दिशा-निर्देश के अन्तर्गत पत्र सं0 SPMU/NUHM/ CP/2023-24/16/1832 दिनांक 29-05-2023 के माध्यम से प्रेषित किये जा चुके हैं।
3. **HSS(U).2.130.DS.2 (HBNC Kit for ASHAs)**-- इस मद में माड्यूल 6-7 के प्रथम चरण हेतु शेष कुल 1864 आशाओं हेतु रु0 1000/- प्रति आशा प्रति HBNC किट की दर से धनराशि संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या - प0क0-13/सं0नि0न0/अर0आशा0/52/ 2019-20/3277-50 दिनांक 30.10.2019 के अनुसार किया जाना है।

FMR Code HSS(U).2.131- MAS - भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुपूरक आर0ओ0पी0 में मद सं0 HSS(U).2.131 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 53.26 लाख जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। जिसका गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है:-

1. **HSS(U).2.131.CB.1 (MAS Orientation)**-- इस वर्ष में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1864 नवीन स्वीकृत महिला आरोग्य समिति के प्रशिक्षण हेतु रु0 43300/- प्रति बैच की दर से 123 बैच हेतु धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या - प0क0-13/सं0नि0न0/म0आ0स0/128/2017-18/4232-35 दिनांक 14.09.2017 के अनुसार किया जाना है। महिला आरोग्य समिति के ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण हेतु बैच का विवरण निम्नानुसार है-

MAS Training Batches 2023-24

Sr. No	District	U-ASHA Approved in 2022-23	No. of Participants (2 per MAS)	Training Site	No. of Batches
1	Amroha	36	72	Amroha	1
2	Balrampur	33	66	Balrampur	2
3	Bijnor	16	32	Bijnor	1
4	Farukhabad	57	114	Farukhabad	4
5	Gonda	28	56	Gonda	2
6	Hamirpur	29	58	Hamirpur	2
7	Hapur	75	150	Hapur	5
8	Kannauj	65	130	Kannauj	4
9	Kanpur Nagar	484	968	Kanpur Nagar	32
10	Shravasti	13	26	Bahraich	1
11	Sitapur	97	194	Sitapur	6
12	Sonebhadra	40	80	Sonebhadra	3
13	Lucknow	549	1098	Lucknow	37

 3

14	Moradabad	50	100	Moradabad	3
15	Pryagraj	287	574	Prayagraj	20
16	Kaushambhi	5	10		
		1864	3728	0	123


नोट-प्रशिक्षण हेतु जनपद स्तर पर कैलेंडर तैयार कर राज्य स्तर को 30 सितम्बर 2023 तक प्रेषित किया जाये तथा कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक प्रशिक्षण हेतु पत्रांक एस0पी0एम0यू0/प्रशिक्षण/31/2022-23/3276 दिनांक.20-07-2023 के माध्यम से प्रेषित चेकलिस्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाये।

FMR Code HSS(U).5.142 Remuneration of all NHM HR - भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुपूरक आर0ओ0पी0 में मद सं0 **HSS(U).5.142** के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 6984.03 लाख 12 माह हेतु जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है:-

- HSS(U).5.142.C.S090 (Full Time MO at U-HWCs)--** इस मद में पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अर्न्तगत अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु स्वीकृत कुल 659 Medical Officers के 12 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 4566.87 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Full time MBBS MO द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (5% वार्षिक वृद्धि सहित, यदि नियमानुसार देय है) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
- HSS(U).5.142.C.S106 (Support staff at U-HWCs) --** इस मद में पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अर्न्तगत अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु स्वीकृत हेतु 659 Support Staff के 12 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 1208.58 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Support Staff द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (5% वार्षिक वृद्धि सहित, यदि नियमानुसार देय है) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
- HSS(U).5.142.C.S106 (Cleaning staff at U-HWCs)--** इस मद में पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अर्न्तगत अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु स्वीकृत हेतु 659 Cleaning Staff के 12 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 1208.58 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Cleaning Staff द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (5% वार्षिक वृद्धि सहित, यदि नियमानुसार देय है) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए:-

For In -position staff (Joined in FY--2022-2023)

Particular	Support/Cleaning Staff	(Amount in Rs.)
	Employee Hired by Agency	
Salary		10230/-
PF(Emp.) 12%		1228/-
ESI(Emp.) 1.75%		179/-
Net Payable to Employee		8823/-
GST 18%		2331/-
Service charge (10%)		1023/-
EPF (13.36%) by Employer		1367/-
ESI (3.25%) by Employer		332/-
		15283/-



**For vacant – All vacant position will be full filled by DHS through empanelled
outsourse agency**

Support/Cleaning Staff - NUHM FY 2023-24		(Amount in Rs.)
Particular	Employee Hired by Agency	
Salary		
PF(Emp.) 12%	9743/-	
ESI(Emp.) 1.75%	1169/-	
Net Payable to Employee	171/-	
GST 18%	8403/-	
Service charge (10%)	2220/-	
EPF (13.36%) by Employer	974/-	
ESI (3.25%) by Employer	1302/-	
	317/-	
	14556/-	

नोट-

- उपरोक्त **Support/Cleaning Staff** का वेतन निर्धारण Minimum Wages Act, 1948 के अन्तर्गत समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- उपरोक्त मानदेय की धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
- UPHC** तथा **UHWC** हेतु स्वीकृत **Support/Cleaning Staff** की तैनाती जनपद स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से की जानी है। किसी भी स्थिति में स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक संख्या में सपोर्ट स्टाफ की तैनाती न की जाय।

***EPF (Employer's Contribution @ 13.36 % for salaries < 15000/- p.m.) -** EPF हेतु धनराशि पदवार मानदेय में सम्मिलित करते हुये रु0 15000/- प्रतिमाह या 15000/- प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों हेतु EPF (Employer's Contribution @ 13.36%) की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। EPF के सम्बन्ध में राज्य स्तर से दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये। जिन कर्मियों की वर्तमान पद पर नियुक्ति के समय मानदेय रु0 15000/-प्रतिमाह या 15000/-प्रतिमाह से कम था, परन्तु वर्तमान में उनका मानदेय रु0 15000/- प्रतिमाह से अधिक हो गया है तो उन कर्मियों के EPF की गणना रु0 15000/- प्रतिमाह की दर से की जायेगी।

***ESI @3.25% -** भारत सरकार के पत्र दिनांक 02.08.2019 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत पात्र कर्मियों हेतु कर्मचारी बीमा योजना के प्राविधान को लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा रु0 21000/- प्रतिमाह तक के मानदेय प्राप्त करने वाले पात्र आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों हेतु ई0एस0आई0 की स्वीकृति आर0ओ0पी0 2023-24 में प्रदान की गयी है। ई0एस0आई0 हेतु समय समय पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त अन्य दिशा-निर्देश लागू किया जायेगा।

FMR Code HSS (U).5.144- Incentive under CPHC (Team based Incentive for HWC, PBI for MO)- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुपूरक आर0ओ0पी0में मद सं0 **HSS(U).5.144** के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 2899.60 लाख जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है:-

- HSS(U).5.144.1 (Team Based Incentives for 659 U-HWCs)--** इस मद में पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर मे से 659 अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु रु0 2.00 लाख प्रति अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर प्रति वर्ष की दर से 12 माह हेतु संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे है।



2. **HSS(U).5.144.2 (Performance Based Incentive to MOs at U-HWCs)**— इस मद मे पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अर्न्तगत स्वीकृत अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु 659 Medical Officers के Performance Based Incentive हेतु रू0 20000/- प्रतिमाह प्रति Medical Officer की दर से 12 माह हेतु धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। इस धनराशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश पत्र संख्या SPMU/NUHM/15th FC/ 2023-24/82/1798 दिनांक 26-05-2023 के माध्यम से प्रेषित किये जा चुके हैं।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन -

- जनपदीय नोडल अधिकारी (एन.यू.एच.एम.), मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट, प्रभारी चिकित्साधिकारी, अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर, व अन्य के द्वारा जनपदों में संचालित गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा।
- प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में अपने नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सभी कक्षों का भ्रमण एवं कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण किया जायेगा तथा पायी गयी कमियों का अपने स्तर एवं उच्च स्तर से निराकरण कराया जायेगा।
- प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मासिक समीक्षा आयोजित की जाये, जिसमें नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मियों, ए0एन0एम0 एवं आशाओं की बैठक की जायेगी। बैठक में नोडल अधिकारी (एन.यू.एच.एम.)/अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर/डी0सी0ए0ए0 के द्वारा भी प्रतिभाग किया जायेगा। बैठक में समस्त स्टाफ के मानदेय, ए.एन.एम. मोबिलिटी, आशा इन्सेंटिव, कार्यालय व्यय, के भुगतान एवं एच.एम.आई.एस. पोर्टल फीडिंग, अपलोडिंग भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आदि चर्चा की जायेगी।

उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाय-

- विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल द्वारा किया जाय। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जाँच के समय प्रेषित किया जा सके।
- ऑपरेशनल गाइडलाइन पर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
- मानदेय का निर्धारण नियुक्ति के समय निर्धारित मानदेय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि (योगदान आख्या तिथि से एक वर्ष संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर) के आधार पर सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण के उपरान्त नियमानुसार देय होगा। उपरोक्त निर्धारित मानदेय में किसी भी प्रकार का पुर्नरीक्षण राज्य स्तर की अनुमति के उपरान्त ही अनुमन्य/मान्य होगा।

उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी (एन.यू.एच.एम.), जिला लेखा प्रबन्धक एवं कार्यक्रम से संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

